न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(राज0)

प0सं0 01/2023 (जी.सी.एम.एस.नम्बर:2023/184) व इजलासः– डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

1. गिरधर
2. शिव सिंह } पुत्रगण रामचन्द जाति जाट नि0 ग्राम जनूथर तहसील जनूथर जिला डीग(राज0)

–प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जनूथर जिला डीग (राज0)

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 एल.आर.एक्ट, सीमांकन एवं पत्थरगढी

निर्णय **दिनांकः 06.06.2024**

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 128,111 एल.आर.एक्ट,(सीमांकन एवं पत्थरगढी)** इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 1709/0.15, वाके ग्राम जनूथर तहसील जनूथर में स्थित है।प्रार्थीगण की वाहिस्सा बरावर कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है जिस पर प्रार्थीगण पूर्व से ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा मौके पर काबिज है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी के वतरफ उत्तर ख0नम्बर 3612/1710/0.38 वतरफ पश्चिम ख0 नम्बर 1708/0.18 वाके ग्राम जनूथर है। जिनके खातेदारान का प्रार्थीगण की खातेदारी के ख0 नम्बर 1709/0.15 से कोई सम्बन्ध किसी किस्म का नहीं हे। लेकिन उक्त खसरा नम्बर 3612/1710 व 1708 के खातेदारान जबरन प्रार्थीगण की आराजी पर हस्तक्षेप करते है तथा कब्जा करना चाहते है एवं प्रार्थीगण की डॉल मेंड को तोडते रहते है।जिस कारण प्रार्थीगण व उक्त आराजी के खातेदारान के मध्य कई वार पैमाईश को लेकर विवाद हो चुका है तथा प्रार्थीगण ने कई वार अपने खेत ख0नम्बर 1709 की पैमाईश कराई है। लेकिन उक्त ख0 नम्बर 3612/1710 व 1708 के खातेदारान प्रार्थीगण की कराई गई पैमाईश से संतुष्ट नहीं है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी के ख0नम्बर 1709/0.15 की पैमाईश कराकर पुख्ता निशानात कायम कराना चाहते है जिससे कि अवांछित विवाद समाप्त हो सके और प्रार्थीगण सीमाज्ञान व पत्थरगढी में नियमानुसार होने वाले खर्चे को वहन करने के लिए तैयार है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार जनूथर को आराजी ख0नम्बर 1709/0.15 वाके ग्राम जनूथर का सीमाज्ञान कराया जाकर पत्थरगढी(स्थाई सीमाचिन्ह)कायम किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार जनूथर से रिपोर्ट तलब की गई। रिपोर्ट तहसीलदार जनूथर में वर्णित है कि आराजी खसरा नम्बर 3612/1710 रकबा 0.38 हैक्टे0 किस्म चाही 1/0.01,जाब 1/0.34,जगराम पुत्र देववक्स हि0 13/38 प्रीती पुत्री शिवशंकर हि0 1/24 मीरा पत्नी शिवशंकर हि0 1/24 रिंकी,शैलेन्द्र पिस0 शिवशंकर हि0 1/12 मान सिंह पुत्र गोपाल सिंह हि0 3/19 वीरी सिंह पुत्र लच्छो हि0 43/456 जाति जाट, विरमा कुमारी पत्नी नीरज कुमार हि0 11/76 जाति कुम्हार नि0 जनूथर दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा नम्बर से लगता हुआ (सटा हुआ) खसरा नम्बर 1709 रकबा 0.15 हैक्टे0 है,जोकि रिकार्ड में गिरधर, शिवसिंह पिस0 रामचन्द जाति जाट नि0 जनूथर के नाम दर्ज है। मौके पर खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

3612/1710 में दो तीन हिस्सों में बाउन्ड्रीवॉल हो रखी है। मौके पर खसरा नम्बर 3612/1710 रकबा नींव खोदी गई है,जोकि वर्तमान में बंद है। खसरा नम्बर 3612/1710 रकबा 0.38 हैक्टे0 रूपान्तरित नहीं है।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 एल.आर.एक्ट, स्वीकार किया जाकर आराजी ख0 नम्बर 1709/0.15 वाके ग्राम जनूथर का सीमाज्ञान कराया जाकर पत्थरगढी (स्थाई सीमाचिन्ह) कायम किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड तहसीलदार जनूथर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन व वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 एल.आर.एक्ट, स्वीकार किया जाकर हम आराजी ख0 नम्बर 1709/0.15 वाके ग्राम जनूथर का सीमाज्ञान/पत्थरगढी (स्थाई सीमाचिन्ह) कायम किये जाने के आदेश दिया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128,111 एल.आर.एक्ट,स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जनूथर प्रार्थीगण से सीमाज्ञान/पत्थरगढी में होने वाले खर्चे को नियमानुसार राजकोष में जमा कराकर आराजी ख0 नम्बर 1709/0.15 वाके ग्राम जनूथर का सीमाज्ञान/पत्थरगढी कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 06.06.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी डीग (भरतपुर)

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.